भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1525

उत्तर देने की तारीख 09 फरवरी, 2026

सोमवार, 20 माघ, 1947 (शक)

पीएमकेवीवाई के कार्यान्वयन पर कैग के निष्कर्ष

1525. थिरु दयानिधि मारन: श्री डी. एम. कथीर आनंद:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के कार्यान्वयन में अल्प नियोजन परिणाम, पात्रता मानकों का उल्लंघन, लाभार्थी अभिलेखों का दोहराव, प्रशिक्षण केन्द्रों को बंद किए जाने और कमजोर निगरानी तंत्र सहित गंभीर कमियों को उजागर किया है;

(ख) यदि हां, तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा सूचित किए गए निष्कर्षों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत बड़ी मात्रा में अव्यय निधि और प्रमाणित उम्मीदवारों को लंबित भुगतान की सूचना मिली है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) और राज्य कौशल मिशनों सहित कार्यान्वयन एजेंसियों की कोई जवाबदेही तय की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस योजना के चालू और भावी चरणों में पारदर्शिता, निधि का बेहतर उपयोग, विश्वसनीय लाभार्थी आंकड़े और रोजगार के बेहतर परिणाम सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ङ) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) ने पीएमकेवीवाई के प्रारंभिक चरणों से लेकर 2022 तक कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा का संचालन किया और डेटा सत्यापन, लाभार्थी विवरण, मूल्यांकनकर्ता जानकारी, पात्रता सत्यापन और निगरानी प्रक्रियाओं से संबंधित पारंपरिक प्रणालियों में कुछ कमियों को उजागर किया, जो मुख्य रूप से आईटी नियंत्रणों की सीमाओं और उस समय प्रचलित विकेन्द्रीकृत कार्यान्वयन के कारण थीं।

सरकार ने पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत व्यापक उपाय शुरू किए हैं, जिनमें आधार-आधारित ई-केवाईसी, चेहरे का प्रमाणीकरण और जियो-टैग उपस्थिति, क्यूआर-कोडित डिजिटल प्रमाणपत्र, स्किल इंडिया डिजिटल हब पर वास्तविक समय डैशबोर्ड, एनसीवीईटी के माध्यम से आकलनकर्ता और प्रशिक्षण केंद्र मान्यता को सुदृढ़ करना, कौशल समीक्षा केंद्र के माध्यम से स्वतंत्र निगरानी, स्पष्ट मुख्य कार्य निष्पादन संकेतकों के साथ संशोधित निगरानी दिशानिर्देश और दंड और वसूली की एक सुदृढ़ कार्य ढांचागत प्रणाली शामिल हैं।

जहां भी नियमों के पालन न होने की पुष्टि हुई है, वहां निलंबन, ब्लैकलिस्टिंग, धन की वसूली और कठोर कदम सहित अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है, जिससे योजना के तहत सशक्त जवाबदेही, सत्यापन और निगरानी तंत्र को संस्थागत रूप दिया गया है।

सरकार ने पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत उद्योग संबंधों को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। पीएमकेवीवाई के अंतर्गत पाठ्यक्रम उभरते क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उद्योग-नेतृत्व वाली संस्थाओं द्वारा तैयार किए गए हैं। ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स आदि जैसे उभरते क्षेत्रों और उद्योग 4.0 की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भविष्य के लिए तैयार नौकरियों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त, रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए, स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) प्लेटफॉर्म को एक ऐसे मंच के रूप में शुरू किया गया है जो कौशल विकास, शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता इको सिस्टम को एकीकृत करता है और हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला को लक्षित करते हुए आजीवन सेवाएं प्रदान करता है। प्रशिक्षित उम्मीदवारों का विवरण संभावित नियोक्ताओं से जुड़ने के लिए सिद्ध पोर्टल पर उपलब्ध है। स्किल इंडिया डिजिटल हब के माध्यम से, उम्मीदवार नौकरियों और शिक्षुता के अवसरों तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही, ऑन-जॉब-ट्रेनिंग (ओजेटी) को पीएमकेवीवाई का एक अभिन्न अंग बनाया गया है। इसके अलावा, प्रमाणित उम्मीदवारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कौशल महोत्सव आयोजित किए गए हैं।

*****